फैक्स/विशेष संवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2017 दिनांक: 4 जनवरी, 2017

सेवा में,

1. मत्रिमंडल सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।

2. सचिव, भारत सरकार,
   कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
   सरदार पटेल भवन,
   नई दिल्ली।

3. निम्नलिखित सरकारों के मुख्य सचिव:-
   (i) गोवा, पणजी;
   (ii) मणिपुर, इम्फाल;
   (iii) पंजाब, चंडीगढ़;
   (iv) उत्तराखण्ड, देहरादून;
   (v) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-
   (i) गोवा, पणजी;
   (ii) मणिपुर, इम्फाल;
   (iii) पंजाब, चंडीगढ़;
   (iv) उत्तराखण्ड, देहरादून;
   (v) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2017- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

महोदय,

मुझे, आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेसनोट/1/2017, दिनांक 4 जनवरी, 2017 (प्रेस नोट ईसीआई की वेबसाइट http://eci.nic.in/ पर उपलब्ध है) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार गोवा, मणिपुर,

पंजाब, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन **2017** की घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

2. आयोग ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन निधियों को जारी करने पर विचार किया है तथा निर्णय लिया है कि –

क) ऐसे निर्वाचन क्षेत्र, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, के किसी भी भाग में सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियाँ जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधायक/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियाँ जारी नहीं की जाएंगी।

ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे जिनमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्तु फील्ड में वास्तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।

ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारीगण पूर्ण रूप से संतुष्ट हों।

घ) जो योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्ध या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।

भवदीय,

ह./-

(आर.के.श्रीवास्तव)

वरिष्ठ प्रधान सचिव